कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांकः– 233 दिनांकः– 12/3/25

सेवा में,

सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– चतरा जिला अन्तर्गत एन0एच0–99 चतरा बाईपास सड़क निर्माण हेतु कुल–64.0849 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव **(FP/JH/Road/146786/2021/556)** के संबंध में।

प्रसंग :– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची के पत्रांक FP/JH/Road/146786/2021/556 दिनांक 06.09.2024
2. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का पत्रांक 377 दिनांक 28.02.2025

महाशय,

उपरोक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची के प्रासंगिक पत्र द्वारा 09 बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है, जिसका निराकरण प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 377 दिनांक 28.02.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के प्रतिवेदनानुसार भारत सरकार, (क्षेत्रीय कार्यालय) द्वारा की गयी पृच्छा का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत् प्रतिवेदित हैः–

क्र0सं0	पृच्छा	निराकरण
I	The total area proposed for diversion mentioned in online part-I and part-II is 64.0849ha instead of 60.0849 ha which is actually forwarded for consideration by state authorities. The proposed area has been revised by concern DFO & cf AS 7.49 ha of forest land has been proposed for 'Utility' purpose, out of which 4 ha is proposed to be utilized for development of roadside amenities like Cafeteria, Hospital, Rest Room etc. These are non-site-specific activities and can be developed on non-forest land as well. Hence concerned DFO & CF have not recommended the corresponding area. These non-site specific amenities must be shifted to non-forest area and must be highlighted to make the desired shift visible to processing authorities.	इस पृच्छा के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन पमंडल ने प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयगत पथ निर्माण हेतु डी0पी0आर0 को भारत सरकार के परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रति अपलोड किया गया है। **(Annexure-D)** वन प्रमडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परियोजना में 04 हे0 वनभूमि जहाँ गैर स्थल विशिष्ट गतिविधियाँ प्रस्तावित की गई है, को अपयोजन की स्वीकृति के लिए विचारित नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में वन प्रमण्डल पदाधिकारी का मंतव्य है कि प्रयोक्ता अभिकरण समय रहते डी0पी0आर0 को संशोधित करने एवं प्रस्तावित गैर स्थल विशिष्ट गतिविधियाँ को गैर वनभूमि पर स्थानान्तरित करने का प्रयास करेगी।
II	Present alignment, at place, shows that road is deliberately diverted to forest area for logistic ease as the bypass road the town is 90% proposed in forest only which can easily be avoided.	इस पृच्छा सं0 II एवं III के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन पमंडल ने प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनभूमि के न्यूनतम उपयोग के लिए दो वैकल्पिक संरेखणों को दर्शाया गया है जिसमें प्रस्तावित संरखण 1 एवं 2 घाटी वाले हिस्से से होकर गुजरता है इसलिए तकनीकी रूप से संरेखण 1 एवं 2 के साथ बाईपास का निर्माण करना संभव
III	The alternative routes of the road are not judiciously explored. The DSS analysis shows that the proposed alignment is fragmenting several forest patches	

	involved leaving few fragmental part discrete, isolated and impractical to manage like forest in the vicinity of a sprawling urban area. Therefore the alignment must be shifted to save fragmentation and loss of forest thereafter.	नहीं है। इसके आलावा कुछ अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहित की गई है जहाँ संरेखण 1 एवं 2 गुजरता है। भारत सरकार, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के पत्रांक–RW/Ranchi/AP-01/2020-21 दिनांक 16.03.2022 द्वारा संरेखन का स्वीकृति पत्र के साथ अपलोड किया गया है। **(Annexure-D)**
IV	Comments from State Forest Department, Nodal Office (FC) and concerned DFO regarding actual tree felling for the project have not been submitted. Details in this regard may be uploaded.	परियोजना में प्रभावित होने वाली वृक्षों की संख्या 4149 है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा विषयगत परियोजना में प्रभावित वृक्षों का विस्तृत प्रतिवेदन Form-A Part-II की Para-4(ii) में अंकित किया गया है। सत्यापित वृक्षों की गणना सूची प्रस्ताव के साथ संलग्न है। **(Annexure-IV)**
V	Cost Benefit analysis is not correct. It may be rectified.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित Cost Benefit संलग्न किया गया है। (अनु0–01)
VI	Undertaking/ Comments of User Agency regarding the implementation of Wildlife Management Plan, Soil Conservation Measures.	इस पृच्छा के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन पमंडल ने प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Wildlife Management Plan, Soil Conservation Measures हेतु बचनवद्धता समर्पित किया गया है। **(Annexure- B & C)**
VII	The details (PF & JJ LAND) of kml and Geo-referenced pdf map are mismatched. Therefore, it needs to be corrected.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस पृच्छा का अनुपालन कर दिया गया है। **(DGPS Map, Annexure-E)**
VIII	CA needs to be proposed on equivalent Non Forest Land instead of Degraded Forest Land. Accordingly, kml file of revised CA area and all related documents needs to be uploaded on portal.	इस पृच्छा के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन पमंडल ने प्रतिवेदित किया है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिनांक 17.12.2024 द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु दुगुने वनभूमि दिये जाने पर विचार किया जा सकता है। अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि के दो गुणे क्षतिपूरक वनरोपण हेतु के विरूद्ध कुल 130 हे0 अवकृष्ट वनभूमि का चयन किया गया है। जो निम्नवत् हैः– <table><tr><td>Sl. NO</td><td>Name of PF/RF</td><td>Range</td><td>Thana No.</td><td>Plot No.</td><td>Area (ha)</td></tr><tr><td>1</td><td>Karma</td><td>Lowalong</td><td>252</td><td>735,1117, 1118,1120</td><td>30.00</td></tr><tr><td>2</td><td>Karma</td><td>Lowalong</td><td>252</td><td>2049,2050, 2051</td><td>23.00</td></tr><tr><td>3</td><td>Manjhauli</td><td>Lowalong</td><td>251</td><td>1,2</td><td>27.00</td></tr><tr><td>4</td><td>Manjhauli</td><td>Lowalong</td><td>261</td><td>2451,3765, 4486(P)</td><td>50.00</td></tr><tr><td colspan="5">Total:-</td><td>130.00</td></tr></table> प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित अवकृष्ट वनभूमि का नक्शा, DGPS, KML file, संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी का उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न है। **(Annexure-III,V,VI,VII & CD)**
IX	Encroachment, both agricultural & residential, has been observed at place in the proposed forest.	इस पृच्छा के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन पमंडल ने प्रतिवेदित किया है कि इस प्रमंडल अंतर्गत अपयोजित होने वाले

		वनभूमि को क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तदोपरान्त अतिक्रमण के रूप में दिखाई देने वाले कुछ भाग वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत दिये गये वन पट्टे है। इसके अतिरिक्त वनभूमि पर किये गये शेष अतिक्रमणों को उचित कानूनी कार्रवाई के साथ हटा दिया जायेगा (अनुलग्नक–1)।

अतः क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग से प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन की तीन प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न करते हुये अनुरोध है कि विषयगत परियोजना में आवश्यक अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(HoFF) का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0:–यथोक्त।
निराकरण प्रतिवेदन तीन प्रतियों में।

विश्वासभाजन

12/3/25
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

Balram
12/3/25

(170)

कार्यालय – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग।
वन भवन, हजारीबाग,
Ph. No. 06546-223962, Email- rccf-hazaribagh@gov.in

पत्रांक : 377 दिनांक : 28.02.2025

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
–सह–
कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, रांची।

Batra 03/3/25

विषय :– **चतरा जिला अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ 99 चतरा बाईपास सड़क निर्माण हेतु कुल 64.0849 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग– भवदीय ज्ञापांक 945 दिनांक 21.10.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि विषयक परियोजना चतरा जिला अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ 99 चतरा बाईपास सड़क निर्माण हेतु कुल 64.0849 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय, रांची के पत्रांक FP/JH/Road/146786/2021/556 दिनांक 06.09.2024 द्वारा 09 बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है। इन पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा के पत्रांक 125 दिनांक 20.02.2025 तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल के पत्रांक 317 दिनांक 15.02.2025 एवं 2470 दिनांक 21.12.2024 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय को समर्पित किया गया है। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार बिन्दुवार अनुपालन की स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0सं	पृच्छा	अनुपालन की स्थिति
I	The total area proposed for diversion mentioned in online part-I and part-II is 64.0849ha instead of 60.0849 ha which is actually forwarded for consideration by state authorities. The proposed area has been revised by concern DFO & cf AS 7.49 ha of forest land has been proposed for 'Utility' purpose, out of which 4 ha is proposed to be utilized for development of roadside amenities like Cafeteria, Hospital, Rest Room etc. These are non-site-specific activities and can be developed on non-forest land as well. Hence concerned DFO & CF have not recommended the corresponding area. These non-site specific amenities must be shifted to non-forest area and must be highlighted to make the desired shift visible to processing authorities.	उक्त पृच्छा के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन पमंडल ने प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयगत पथ निर्माण हेतु डी0पी0आर0 को भारत सरकार के परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित करा लिया गया है। तद्नुसार 04 हे0 वनभूमि जहॉ गैर स्थल विशिष्ट गतिविधियाँ प्रस्तावित की गई है, को स्वीकृति के लिए विचारित नहीं किया जा सकता है। प्रयोक्ता अभिकरण समय रहते डी0पी0आर0 को संशोधित करने एवं प्रस्तावित गैर स्थल विशिष्ट गतिविधियाँ को गैर वनभूमि पर स्थानान्तरित करने का प्रयास करेगी।
II	Present alignment, at place, shows that road is deliberately diverted to forest area for logistic ease as the bypass road the town is 90% proposed in forest only which can easily be avoided.	पृच्छा सं0 II एवं III के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन पमंडल ने प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनभूमि के न्यूनतम उपयोग के लिए दो वैकल्पिक संरेखणों को दर्शाया गया है जिसमें प्रस्तावित संरखण 1 एवं 2 घाटी वाले हिस्से से होकर गुजरता है इसलिए तकनीकी रूप से संरेखण 1 एवं 2 के साथ बाईपास का निर्माण करना संभव नहीं है। इसके आलावा
III	The alternative routes of the road are not judiciously explored. The DSS analysis shows that the proposed alignment is fragmenting several forest patches involved leaving few	

क्र0सं	पृच्छा	अनुपालन की स्थिति
	fragmental part discrete, isolated and impractical to manage like forest in the vicinity of a sprawling urban area. Therefore the alignment must be shifted to save fragmentation and loss of forest thereafter.	कुछ अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहित की गई है जहाँ संरेखण 1 एवं 2 गुजरता है।
IV	Comments from State Forest Department, Nodal Office (FC) and concerned DFO regarding actual tree felling for the project have not been submitted. Details in this regard may be uploaded.	उक्त पृच्छा के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन पमंडल द्वारा विषयगत परियोजना में प्रभावित वृक्षों का विस्तृत प्रतिवेदन Form-A Part-II की Para-4(ii) में अंकित किया गया है। सत्यापित वृक्षों की गणना सूची Part-II के Additional information details में अपलोड कर दिया गया है।
V	Cost Benefit analysis is not correct. It may be rectified.	उक्त पृच्छा के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन पमंडल ने प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित Cost Benefit analysis Part-I की Para G(i)(a) में अपलोड कर दिया गया है।
VI	Undertaking/ Comments of User Agency regarding the implementation of Wildlife Management Plan, Soil Conservation Measures.	उक्त पृच्छा के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन पमंडल ने प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Wildlife Management Plan, Soil Conservation Measures Form-A Part-I के Additional information details में अपलोड कर दिया गया है। साथ ही Undertaking की प्रति अनुलग्नक–02 के रूप में संलग्न है।
VII	The details (PF & JJ LAND) of kml and Geo-referenced pdf map are mismatched. Therefore, it needs to be corrected.	उक्त पृच्छा का अनुपालन कर लिया गया है।
VIII	CA needs to be proposed on equivalent Non Forest Land instead of Degraded Forest Land. Accordingly, kml file of revised CA area and all related documents needs to be uploaded on portal.	उक्त पृच्छा के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन पमंडल ने प्रतिवेदित किया है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिनांक 17.12.2024 द्वारा प्राप्त दिषा निर्देश के आलोक में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु दुगुने वनभूमि दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।
IX	Encroachment, both agricultural & residential, has been observed at place in the proposed forest.	उक्त पृच्छा के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन पमंडल ने प्रतिवेदित किया है कि इस प्रमंडल अंतर्गत अपयोजित होने वाले वनभूमि को क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तदोपरान्त अतिक्रमण के रूप में दिखाई देने वाले कुछ भाग वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत दिये गये वन पट्टे है। इसके अतिरिक्त वनभूमि पर किये गये शेष अतिक्रमणों को उचित कानूनी कार्रवाई के साथ हटा दिया जायेगा (अनुलग्नक–1)।

प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की पांच प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न भेजते हुए अनुरोध है कि विषयक मामले में अपने स्तर से अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी,

अनु0–यथोक्त।

28/02/25

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

28/02/25

कार्यालयः— वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।
वन भवन, चतरा– 825401 (झारखण्ड)
E-mail:-dfo-chatrasouth@gov.in Phone - 8987790213

पत्रांक:– 317 दिनांक:– 15/2/25

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।

विषयः– चतरा जिला अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ 99 चतरा बाईपास सड़क निर्माण हेतु कुल 64.0809 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा की गई पृच्छा का अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग:– आपका पत्रांक 90 दिनांक 01.02.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विषयक परियोजना पर 9 बिन्दुओं पर पृच्छा की गई थी। सभी पृच्छाओं का निराकरण कर इस कार्यालय के पत्रांक– 2470 दिनांक– 21.12.2024 द्वारा निराकरण प्रतिवेदन अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित की गई थी। निराकरण प्रतिवेदन भेजने के उपरांत अवलोकनोपरान्त पाया गया था कि विषयगत परियोजना में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित 4 स्थल में एक महेशा का प्लॉट संख्या– 50, 53 एवं 4477 को पूर्व में दूसरे परियोजना आम्रपाली ओ०सी०पी० (431.59) हे० को दिया जा चुका था। दोनों परियोजना में CA हेतु चिन्हित एक स्थल का एक ही प्लॉट होने के कारण उसमे बदलाव करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक– 11 दिनांक– 02.01.2025 द्वारा परिवेश पोर्टल के माध्यम से विषयगत प्रस्ताव को ऑनलाईन वापस करने हेतु अनुरोध किया गया था, जिसके आलोक में आपके द्वारा ऑनलाईन प्रस्ताव को वापस किया गया था। पुनः क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित स्थल महेशा के प्लॉट संख्या– 50, 53 एवं 4477 के स्थान पर 2451, 3765 एवं 4486 को चिन्हित करते हुए सभी स्थलो का 10 वर्षीय संशोधित प्राक्कलन, टोप्पो मैप एवं डी०जी०पी०एस० मैप तैयार कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुए प्रस्ताव को ऑनलाईन समर्पित की गई थी। उक्त के आलोक में प्रासंगिक पत्र के माध्यम से 5 बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है जिसका निराकरण कर बिन्दुवार निराकरण प्रतिवेदन अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

क्र० सं०	पृच्छा	निराकरण
1	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु अपलोडेड दस वर्षीय प्राक्कलन में स्थलवार कितना पिलर निर्माण होगा एवं S.O.R. के तहत प्रति पिलर की दर से कितना राशि होगा उसे अंकित करते हुए संशोधित प्राक्कलन अपलोड करना सुनिश्चित करें।	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित सभी 4 स्थल करमा–1, करमा–2, महेशा एवं मंझौली का वर्तमान S.O.R. के अनुसार प्रति पिलर की दर से कुल राशि को प्राक्कलन में अंकित करते हुए 10 वर्षीय संशोधित प्राक्कलन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
2	ऑनलाईन पार्ट II में मात्र महेशा ग्राम का डी०जी०पी०एस० मैप अपलोड है जिसमें 03 पैच में	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित सभी 4 स्थल करमा–1, करमा–2, महेशा एवं मंझौली का डी०जी०पी०एस० मैप में पैचवार एवं क्रमवार

CS CamScanner

	वनरोपण कार्य, किया जायेगा, परन्तु नक्शा पर एक पैच में ही पिलर दर्शाया हुआ है। इसमें पैचवार पिलर को क्रमवार दर्शाते हुए संशोधित डी0जी0पी0एस0 मैप अपलोड करना सुनिश्चित करें। साथ ही दो ग्राम क्रमशः मंझौली एवं करमा का भी डीजीपीएस0 मैप अपलोड करे।	पिलरों को दर्शाते हुए संशोधित डी0जी0पी0एस0 मैप परिवेश पोर्टल [illegible] अपलोड कर दिया गया है।
3	ऑनलाईन पार्ट II में मात्र महेशा ग्राम का टोप्पो मैप अपलोड है। इस प्रकार दो ग्राम क्रमशः मंझौली एवं करमा का भी टोप्पो मैप पर दर्शाते हुए अपलोड करे।	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित सभी 4 स्थल करमा–1, करमा–2, महेशा एवं मंझौली को टोप्पो मैप पर दर्शाते हुए सभी का टोप्पो मैप परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
4	पार्ट II के Additional information में ऑनलाईन पार्ट II की हस्ताक्षरित प्रति अपलोड नहीं है।	पार्ट II के Additional information में ऑनलाईन पार्ट II की हस्ताक्षरित प्रति अपलोड कर दिया गया है।
5	पार्ट II के Additional information में Tree Enumeration summary upload है जिसमें वन प्रमंडल पदाधिकारी का नाम के साथ हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित नहीं है।	Tree Enumeration summary में अधोहस्ताक्षरी के नाम के साथ हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित करते हुए पार्ट II के Additional information में अपलोड कर दिया गया है।

<u>अनु0–यथोक्त।</u>

आपका विश्वासी,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।
15/02/2025

CS CamScanner

(166)

कार्यालय - वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा

वन भवन, स्थान+पो0+जिला - चतरा, झारखण्ड - 825401

फोन नं0 – 06541-253690, Email – cf-chatra@gov.in

पत्रांक – 125 दिनांक – 22/02/25

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

विषय– चतरा जिला अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ 99 चतरा बाईपास सड़क निर्माण हेतु कुल 64.0849 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग–
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्र सं0 FP/JH/Road/146786/2021/556 दिनांक 06.09.2024
2. झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र सं0 वनभूमि–23/2024–3866 दिनांक 01.10.2024
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक 945 दिनांक 21.10.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (1) द्वारा की गई पृच्छा के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल ने अपने पत्रांक 2470 दिनांक 21.12.2024 द्वारा बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया था। समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन की जाँच के क्रम में कतिपय त्रुटियाँ पायी गयी जिसे सुधार करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 17 दिनांक 03.01.2025 एवं 90 दिनांक 01.02.2025 द्वारा संशोधित अनुपालन करने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त के आलोक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल ने अपने पत्रांक 317 दिनांक 15.02.2025 द्वारा संशोधित अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया है। समर्पित निराकरण प्रतिवेदन की स्थिति निम्नवत् है :–

Sl.No.	Query	Compliance
I	The total area proposed for diversion mentioned in online part-I and part-II is 64.0849ha instead of 60.0849 ha which is actually forwarded for consideration by state authorities. The proposed area has been revised by concern DFO & cf AS 7.49 ha of forest land has been proposed for 'Utility' purpose, out of which 4 ha is proposed to be utilized for development of roadside amenities like Cafeteria, Hospital, Rest Room etc. These are non-site-specific activities and can be developed on non-forest land as well. Hence concerned DFO & CF have not recommended the corresponding area. These non-site specific amenities must be shifted to non-forest area and must be highlighted to make the desired shift visible to processing authorities.	उक्त पृच्छा के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन पमंडल ने प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयगत पथ निर्माण हेतु डी0पी0आर0 को भारत सरकार के परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित करा लिया गया है। तद्नुसार 04 हे0 वनभूमि जहाँ गैर स्थल विशिष्ट गतिविधियाँ प्रस्तावित की गई है, को स्वीकृति के लिए विचारित नहीं किया जा सकता है। प्रयोक्ता अभिकरण समय रहते डी0पी0आर0 को संशोधित करने एवं प्रस्तावित गैर स्थल विशिष्ट गतिविधियाँ को गैर वनभूमि पर स्थानान्तरित करने का प्रयास करेगी।

II	Present alignment, at place, shows that road is deliberately diverted to forest area for logistic ease as the bypass road the town is 90% proposed in forest only which can easily be avoided.	पृच्छा सं0 II एवं III के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन पमंडल ने प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनभूमि के न्यूनतम उपयोग के लिए दो वैकल्पिक संरेखणों को दर्शाया गया है जिसमें प्रस्तावित संरखण 1 एवं 2 घाटी वाले हिस्से से होकर गुजरता है इसलिए तकनिकी रूप से संरेखण 1 एवं 2 के साथ बाईपास का निर्माण करना संभव नहीं है। इसके आलावा कुछ अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहित की गई है जहाँ संरेखण 1 एवं 2 गुजरता है।
III	The alternative routes of the road are not judiciously explored. The DSS analysis shows that the proposed alignment is fragmenting several forest patches involved leaving few fragmental part discrete, isolated and impractical to manage like forest in the vicinity of a sprawling urban area. Therefore the alignment must be shifted to save fragmentation and loss of forest thereafter.	
IV	Comments from State Forest Department, Nodal Office (FC) and concerned DFO regarding actual tree felling for the project have not been submitted. Details in this regard may be uploaded.	उक्त पृच्छा के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन पमंडल द्वारा विषयगत परियोजना में प्रभावित वृक्षों का विस्तृत प्रतिवेदन Form-A Part-II की Para-4(ii) में अंकित किया गया है। सत्यापित वृक्षों की गणना सूची Part-II के Additional information details में अपलोड कर दिया गया है।
V	Cost Benefit analysis is not correct. It may be rectified.	उक्त पृच्छा के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन पमंडल ने प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित Cost Benefit analysis Part-I की Para G(i)(a) में अपलोड कर दिया गया है।
VI	Undertaking/ Comments of User Agency regarding the implementation of Wildlife Management Plan, Soil Conservation Measures.	उक्त पृच्छा के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन पमंडल ने प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Wildlife Management Plan, Soil Conservation Measures Form-A Part-I के Additional information details में अपलोड कर दिया गया है।
VII	The details (PF & JJ LAND) of kml and Geo-referenced pdf map are mismatched. Therefore, it needs to be corrected.	उक्त पृच्छा का अनुपालन कर लिया गया है।
VIII	CA needs to be proposed on equivalent Non Forest Land instead of Degraded Forest Land. Accordingly, kml file of revised CA area and all related documents needs to be uploaded on portal.	उक्त पृच्छा के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन पमंडल ने प्रतिवेदित किया है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिनांक 17.12.2024 द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु दुगुने वनभूमि दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।

IX	Encroachment, both agricultural & residential, has been observed at place in the proposed forest.	उक्त पृच्छा के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन पमंडल ने प्रतिवेदित किया है कि इस प्रमंडल अंतर्गत अपयोजित होने वाले वनभूमि को क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तदोपरान्त अतिक्रमण के रूप में दिखाई देने वाले कुछ भाग वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत दिये गये वन पट्टे है। इसके अतिरिक्त वनभूमि पर किये गये शेष अतिक्रमणों को उचित कानूनी कार्रवाई के साथ हटा दिया जायेगा (अनुलग्नक–1)।

अतः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा समर्पित निराकरण प्रतिवेदन की छः मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि अपने स्तर से अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

<u>अनु0–यथोक्त।</u>

आपका विश्वासी,

27/02/2025

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।

कार्यालय क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
हजारीबाग
प्राप्तांक 357
दिनांक 27.02.25

Office of Divisional Forest Officer,
Chatra South Forest Division, Chatra
E-mail : dfo-chatrasouth@gov.in Phone : 8987790213

Letter No. : 2470 **Date : 21.12.2024**

To,

The Conservator of Forests,
Territorial Circle, Chatra.

Subject:- Reply of query made by Regional Office, Ranchi, MoEF&CC, GoI regarding forest land diversion proposal for construction of by-pass around Chatra town on NH-22 (Old NH-99).

Madam,

A nine-point query was raised by Regional Office, Ranchi, MoEF&CC, GoI regarding forest land diversion proposal for construction of by-pass around Chatra town on NH-22 (Old NH-99), which has been replied by the user agency on 09.12.2024. Same is being forwarded with comments of undersigned for necessary action.

Sr No.	Query	Compliance
I.	The total area proposed for diversion mentioned in online Part – I and Part – II is 64.0849 Ha instead of 60.0849 Ha which is actually forwarded after consideration by State authorities. The proposed area has been revised by concerned DFO and CF as 7.49 Ha of forest land has been proposed for 'Utility' purpose, out of which 4 ha is proposed to be utilized for development of roadside amenities like Cafeteria, Hospital, Restroom etc. These are non-site-specific activities and can be developed on non-forest land as well. Hence concerned DFO and CF have not recommended the corresponding area. These non-site-specific amenities must be shifted to non-forest area and must be highlighted to make the desired shift visible to processing authorities.	The User agency has replied that the DPR of the project has been approved by the Ministry of Road Transport and Highways (MoRT&H), GoI. The forest land measuring 4 ha, where non-site-specific activities have been proposed may, accordingly be not considered for a approval. The User Agency in due course will make efforts to get the DPR revised and get the non-site-specific activities proposed shifted to non-forest land.
II.	Present alignment, at place, shows that road is deliberately diverted to forest area for logistic ease as the bypass road of the town is 90% proposed in forest only which can easily be avoided.	User Agency has submitted that two alternatives alignments were explored for minimum usage of forest land. They have submitted that proposed Alignment 1 & 2 passes through valley portion. So, technically it is not feasible to construct bypass along alignment 1 & 2. Also land has been acquireed for some another projects where Alignment 1 & 2 passes.
III.	The alternative routes of the road are not judiciously explored. The DSS analysis shows that the proposed alignment is fragmenting several forest patches involved leaving few fragmented parts discrete, isolated and impractical to manage like forest in the vicinity of a sprawling urban area. Therefore, the alignment must be shifted to save such fragmentation and loss of forest thereafter.	User Agency has submitted that two alternatives alignments were explored for minimum usage of forest land. They have submitted that proposed Alignment 1 & 2 passes through valley portion. So, technically it is not feasible to construct bypass along alignment 1 & 2. Also land has been acquireed for some another projects where Alignment 1 & 2 passes.

IV.	Comments from State Forest Department, Nodal Office (FC) and concerned DFO regarding actual tree felling for the project have not been submitted. Details in this regard may be uploaded.	Details regarding trees falling in the alignment have been filled in Para 4 (ii) of Form-A, Part-II and the enumeration list has been uploaded as additional document.
V.	Cost-Benefit analysis is not correct. It may be rectified.	User agency has uploaded a rectified Cost-Benefit analysis report.
VI.	Undertaking/ Comments of the User Agency regarding the implementation of Wildlife Management Plan, Soil Conservation Measures need to be uploaded.	Complied.
VII.	The details (PF and JJ land), kml file and Geo-referenced pdf map mismatched. Therefore, it needs to be corrected.	Complied.
VIII.	CA needs to be proposed on equivalent Non Forest Land instead of Degraded Forest Land. Accordingly, kml file of revised CA area and all related documents need to be uploaded on portal.	As per MoEF&CC, GoI guideline dated 17.12.2024, CA over DFL may be considered.
IX.	Encroachment, both agricultural & residential, has been observed at some places in the proposed forest.	The land proposed for diversion was visited by the field staff of the division and the status of encroachment was communicated to the division. Few patches visible as encroachment are Van Pattas given under Forest Rights Act, 2006. Remaining encroachments over forest land will be removed with proper legal action. (Annex-1)

Sent for necessary action.

Yours faithfully,

21/12/2024

Divisional Forest Officer,
Chatra South Forest Division, Chatra.

पत्रांक– [illegible], दिनांक– 21/12/2024

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल।

विषय:– चतरा जिला अंतर्गत एन0एच0–99 चतरा बाईपास सड़क निर्माण हेतु कुल 60.0849 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग– आपका कार्यालय ज्ञापांक–2467 दिनांक–20.12.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि चतरा जिला अंतर्गत एन0एच0–99 चतरा बाईपास सड़क निर्माण हेतु कुल 60.0849 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव से संबंधित सभी मौजो का स्थलीय जॉच किया गया। जॉचोंपरांत विवरण निम्नवत् है–

क0 सं0	मौजा का नाम	थाना / थाना नं0	प्लॉट नं0	अभियुक्ति
1	डाढ़ा	चतरा–157	704, 20, 21, 26	प्लॉट सं0–704 में अतिकमण पाया गया है जो पूर्व में ही **FRA** के तहत वन पट्टा दिया जा चुका है एवं कुछ जगहो पर अतिकमण को चिन्हित कर उचित कानुनी कार्रवाई करते हुए अतिकमण मुक्त करा लिया जायेगा तथा अन्य सभी प्लॉटों पर अतिकमण नही है।
2	पकरिया	चतरा–174	82	अतिकमण नहीं है।
3	चतरा	चतरा–175	1252, 1254, 2085	अतिकमण नहीं है।
4	मोहनाडीह	चतरा–176	73, 77, 76, 79	अतिकमण नहीं है।
5	नगवां	चतरा–182	85, 1144, 1165, 1152, 1150, 1171, 1146,	प्लॉट सं0–1146 में अतिकमण पाया गया जिसे उचित कानुनी कार्रवाई करते हुए अतिकमण मुक्त करा लिया जायेगा तथा अन्य सभी प्लॉटों पर अतिकमण नही है।
6	देवरिया	चतरा–183	1140, 1308, 1307, 869	अतिकमण नहीं है।
7	चंगेर	चतरा–266	1, 3	अतिकमण नहीं है।
8	महापुर उर्फ बोलिया	चतरा–236	3,	अतिकमण नहीं है।
9	आरूदाना	चतरा–235	24, 80, 30, 61	अतिकमण नहीं है।
10	बानासाम	चतरा–233	161, 160, 158, 40	अतिकमण नहीं है।
11	गिरवां	चतरा–230	19, 17	अतिकमण नहीं है।
12	कामत	चतरा–229	4	अतिकमण नहीं है।
13	खाप	चतरा–228	200	अतिकमण नहीं है।

उक्त मौजा डाढ़ा एवं नगवां के प्लॉट सं0–704 एवं 1146 पर अतिकमण पाया गया जिसे उचित कानुनी कार्रवाई करते हुए अतिकमण मुक्त करा लिया जायेगा तथा अन्य सभी मौजा के प्लॉटों में परियोजना हेतु प्रस्तावित स्थल में वनभूमि अतिकमण नहीं है।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

आपका विश्वासी

21/12/2024

वन क्षेत्र पदाधिकारी
चतरा प्रक्षेत्र

NH BYPASS Road

झारखण्ड सरकार
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, हजारीबाग
पी०टी०सी० ग्राउण्ड के दक्षिण, हजारीबाग –825301 फोन सं० –06546-222474
E-mail :- **nhdivisionhazaribagh@gmail.com** /eenhhazari-jhr@nic.in

पत्रांक :– 1209 (अनु०) दिनांक :– 09/12/24

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
रा०उ०पथ प्रमण्डल, हजारीबाग।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
दक्षिणी वन प्रमण्डल,
चतरा।

विषय :– **चतरा जिला अंतर्गत NH-99 पर चतरा बाईपास सड़क निर्माण हेतु कुल 60.0849 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– **उप वन महानिरीक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक – FP/JH/Road/146786/2021/556 दिनांक 06.09.2024**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र में किये गये कारण पृच्छा के निराकरण के संबंध में प्रतिवेदन निम्नवत् है :–

Sl.No	Question	Answer
I	The total area proposed for diversion mentioned in online part-I and part-II is 64.0849ha instead of 60.0849 ha which is actually forwarded for consideration by state authorities. The proposed area has been revised by concern DFO & cf AS 7.49 ha of forest land has been proposed for 'Utility' purpose, out of which 4 ha is proposed to be utilized for development of roadside amenities like Cafeteria, Hospital, Rest Room etc. These are non-site-specific activities and can be developed on non-forest land as well. Hence concerned DFO & CF have not recommended the corresponding area. These non-site specific amenities must be shifted to non-forest area and must be highlighted to make the desired shift visible to processing authorities.	After getting approval of Chatra bypass aligment from Ministry of Road Transport and Highways (MoRT&H), Govt. of India, DPR has been prepared and accordingly forest diversion proposal has been uploaded. According to approved alignment 64.0849 ha forest divesion proposal is uploaded in the portal.

II	Present alignment, at place, shows that road is deliberately diverted to forest area for logistic ease as the bypass road the town is 90% proposed in forest only which can easily be avoided.	Proposed Alignment 1 & 2 passes through valleys portion. So, technically it is not feasible to construct bypass along alignment 1 & 2. Also land has been acquireed for some another projects where Alignment 1 & 2 passes by the State Govt. NH-22 starts from Dobhi (Gaya) and end at Chandwa at NH-75 passes through Chatra main town. Proposed Alignment-3 starts from Ch. 42.112 of NH-22 crosses NH-522, Chouparan-Chatra road and Hazaribagh-Katkamsandi road and end at Ch. 54.701 of NH-22. All traffic coming from NH-522, Chouparan-Chatra road and Hazaribagh-Katkamsandi road and going towards Ranchi or Daltonganj and towards Gaya use this bypass. After construction of this bypass public get relief from traffic congestion in Chatra town. If we follow Alignment 1 & 2, traffic going towards Ranchi or Daltonganj and Gaya couldn't get relief from congestion of traffic because finally they will use Chatra town of NH-22.
III	The alternative routes of the road are not judiciously explored. The DSS analysis shows that the proposed alignment is fragmenting several forest patches involved leaving few fragmental part discrete, isolated and impractical to manage like forest in the vicinity of a sprawling urban area. Therefore the alignment must be shifted to save fragmentation and loss of forest thereafter.	Proposed Alignment 1 & 2 passes through valleys portion. So, technically it is not feasible to construct bypass along alignment 1 & 2. Also land has been acquireed for some another projects where Alignment 1 & 2 passes by the State Govt. NH-22 starts from Dobhi (Gaya) and end at Chandwa at NH-75 passes through Chatra main town. Proposed Alignment-3 starts from Ch. 42.112 of NH-22 crosses NH-522, Chouparan-Chatra road and Hazaribagh-Katkamsandi road and end at Ch. 54.701 of NH-22. All traffic coming from NH-522, Chouparan-Chatra road and Hazaribagh-Katkamsandi road and going towards Ranchi or Daltonganj and towards Gaya use this bypass. After construction of this bypass public get relief from traffic congestion in Chatra town. If we follow Alignment 1 & 2, traffic going towards Ranchi or Daltonganj and Gaya couldn't get relief from congestion of traffic because finally they will use Chatra town of NH-22.

IV	Comments from State Forest Department, Nodal Office (FC) and concerned DFO regarding actual tree felling for the project have not been submitted. Details in this regard may be uploaded.	Attached.
V	Cost Benefit analysis is not correct. It may be rectified.	Rectified Cost Benefit Analysis attached.
VI	Undertaking/ Comments of User Agency regarding the implementation of Wildlife Management Plan, Soil Conservation Measures.	Attached.
VII	The details (PF & JJ LAND) of kml and Geo-referenced pdf map are mismatched. Therefore, it needs to be corrected.	Corrected and uploaded online.
VIII	CA needs to be proposed on equivalent Non Forest Land instead of Degraded Forest Land. Accordingly, kml file of revised CA area and all related documents needs to be uploaded on portal.	For the construction of Chatra bypass, it has been requested to DC, Chatra vide this office letter no. - 941 dated 22.09.2024 for Non-forest land. But not found yet. This case may co-relate with Simariya bypass where 14.284 ha forest diversion has been taken in the forest proposal. For this it has been requested to DC, Chatra vide this office letter no. - 40 dated 09.01.2024, 199 dated 20.02.2024, 423 dated 04.05.2024, 664 dated 04.07.2024 for Non-forest land. But till now, CA land has not been given by Chatra administration. So, considering the importance of work and the situation of not getting non-forest land for forest diversion in Chatra district and also in light of Gazette no. - CG-DL-E20092024-257289 dated 20.09.2024. So, considering the above facts, the proposal may be send to competant authority for forest clearance.
IX	Encroachment, both agricultural & residential, has been observed at place in the proposed forest.	Not related to User Agency

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

09/12/24

कार्यपालक अभियंता

Er. Ranjit Kumar Barnwal

रा०उ०पथ, प्रमंडल, हजारीबाग

Executive Engineer

National Highway Division

Hazaribagh

09/12/24

UNDERTAKING FOR PAY THE SOIL MOISTURE CONSERVATION PLAN

We, hereby undertake to the soil and moisture plan is not required in this project, if any requirment of the smc plan will be submitted for Construction of Bypass around Chatra town on NH-22 (Old NH-99) in the State of Jharkhand

09/12/24
Er. Ranjit Kumar Barnwal
Executive Engineer
National Highway Division
Hazaribagh

09/XII/24
JE

Govt. of Jharkhand
Office of the Executive Engineer
National Highway Division, Hazaribagh
South of PTC Ground, Hazaribagh - 825301 Phone No. - 06546-222474
E-mail :- nhdivisionhazaribagh@gmail.com / eenhhazari-jhr@nic.in

Undertaking in respect of Wildlife Management Plan

We here by undertake that the wildlife management plan of Bypass around Chatra town of NH-22 (Old NH-99) Start chainage km 42.112 & End chainage 54.701 (length 14.23 Km) under NH Division Hazaribagh in the state of Jharkhand of protected Forest land is the under process. Accordingly it is being submitted before Part-II filing in respect of forest clearance.

26/10/29

(Ranjit Kumar Barnwal)
Executive Engineer,
NH Division, Hazaribagh

Ranjit Kumar Barnwal
Executive Engineer,
National Highway Division, Hazaribag

Undertaking in respect of Wildlife Management Plan

We here by undertake that the wildlife management plan of protected Forest land is the under process. Accordingly it is being submitted before Part II filing in respect of forest clearance for Construction of Bypass around Chatra town on NH-22 (Old NH-99) in the State of Jharkhand

09/12/24
Er. Ranjit Kumar Barnwal
Executive Engineer
National Highway Division
Hazaribagh

09/11/2024
JE